न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –155/2014 (अपील)

परमानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी रंग तालाव उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलाण्ट.

बनाम

स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलल आर एक्ट बनाराजगी इन्तकाल नम्बर 299 निर्णय दिनांक 09.06.2001 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति

1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक– 04.03.2020

1. यह अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.4.2014 से अपील उनके श्रवणाधिकार की नहीं होने से अपील का गुणावगुण के आधार पर विवेचन किये बगैर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को लौटाई जाने पर इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2014 को पेश की गई है ।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 299 दिनांक 9.6.2001 में आदेश पारित किया कि "हस्ब रिपोर्ट पटवारियान व जांच आई एल आर, आदेश तहसीलदार लाडपुरा के नामा0 स्वीकार है ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।
3. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2014 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई गौर नहीं फरमाया कि आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 1.06 हे0 वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तह0 लाडपुरा पुश्तैनी है तथा खातेदारी की उक्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण उसमें अपीलार्थी के पुत्रों मनोज, कुदीप एवं पुत्रियां सरिता का हक व अधिकार भी जन्म से ही निहित है । इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व तथा 90–ए के तहत सिवायचक का इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलार्थी एवं अन्य वारिसान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना नोटिस दिये ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मनमाने रूप से 90 ए राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत खातेदारी आराजी सिवायचक दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । वास्तविकता यह है कि नवल किशोर पुत्र राम भरोस लाल निवासी कोटा जंक्शन नामक भू माफिया दलाल ने बिना प्रतिफल दिये ही पांच एग्रीमेंट पांच प्लाटों के रकवाये थे, उसमें उसने मनमाने रूप से प्लाटों के स्थान पर 160 से लेकर 344 तक के प्लाट मनमाने रूप से करा लिये, जिसकी

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

कोई राशि उसने अदा नहीं की है । इस संबंध में जो चैक दिये गये थे, वे भी अनादरित हो गये । इस प्रकार अपीलांट ने अपनी उक्त भूमि को किसी को बेचान नहीं किया है, न ही साइड प्लान बनवाया । नवल किशेर भूमि खोर द्वारा मामाने रूप से फर्जी इकरार नामें के आधार पर कूट रचित दस्तावेजों की आड में उक्त भूमि का साईड प्लॉन बनवाकर विक्रय कर दिये, जिन्होंने मनमर्जी से अपीलार्थी एवं उसके वारिसान की मर्जी के बगैर निमार्ण कार्य करवाया । इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश इन्तकाल जैर अपील पारित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया इसलिए प्रार्थी को आदेश इन्तकाल जैर अपील की कोई जानकारी नहीं हो सकी । अपीलार्थी को उक्त आदेश की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 6.6.2011 कोहुई जब अपीलार्थी से हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि सिवायचक होने बाबत कहा । अपीलार्थी ने इन्तकाल आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 8.6.2011 को प्रस्तुत किया तथा उक्त तिथि को नकल प्राप्त की इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें तथा पूर्ववत भूमि अपीलार्थी के खाते में दर्ज फरमाई जावें ।

4. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

5. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई गौर नहीं फरमाया कि आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 1.06 हे0 वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तह0 लाडपुरा पुश्तैनी है तथा खातेदारी की उक्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण उसमें अपीलार्थी के पुत्रों शिव शंकर, लेखराज, हरीश, नवलकिशोर व कमलेश एवं पुत्री मोहर बाई का हक व अधिकार भी जन्म से ही निहित है । इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व तथा 90–ए के तहत सिवायचक का इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलार्थी एवं अन्य वारिसान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना नोटिस दिये ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मनमाने रूप से 90 ए राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत खातेदारी आराजी सिवायचक दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । वास्तविकता यह है कि नवल किशोर पुत्र राम भरोस लाल निवासी कोटा जंक्शन नामक भू माफिया दलाल ने बिना प्रतिफल दिये ही पांच एग्रीमेंट पांच प्लाटों के रकवाये थे, उसमें उसने मनमाने रूप से प्लाटों के स्थान पर 160 से लेकर 344 तक के प्लाट मनमाने रूप से करा लिये, जिसकी कोई राशि उसने अदा नहीं की है । इस संबंध में जो चैक दिये गये थे, वे भी अनादरित हो गये । इस प्रकार अपीलांट ने अपनी उक्त भूमि को किसी को बेचान नहीं किया है, न ही साइड प्लान बनवाया । नवल किशेर भूमि खोर द्वारा मामाने रूप से फर्जी इकरार नामें के आधार पर कूट रचित दस्तावेजों की आड में उक्त भूमि का साईड प्लॉन बनवाकर विक्रय कर दिये, जिन्होंने मनमर्जी से अपीलार्थी एवं उसके वारिसान की मर्जी के बगैर निमार्ण कार्य करवाया । इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें तथा पूर्ववत भूमि अपीलार्थी के खाते में दर्ज फरमाई जावें ।

Scanned by CamScanner

6. पेरोकार सरकार की बहस है कि अपीलांट द्वारा ग्राम रंग तालाब स्थित स्वयं के खातेदारी भूमि ख0नं0 330 रकबा 1.06 हे0 को कृषि से अकृषि उपयोग में लेने के कारण तहसील के 90 ए के तहत भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश होने से जैर अपील नामान्तकरण स्वीकार किया गया है । नामान्तकरण प्रक्रिया में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है ।

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामा0 सं0 299 आदेश दिनांक 09.06.2001 के विरूद्व अपील दिनांक 24.07.2014 को प्रस्तुत की है जिसके संबंध मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव बताया गया है । अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब क्षम्य एवं कन्डोन किये जाने योग्य है । लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।

8. अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में बिना भू–रूपान्तरण करवाए ही खातेदारी भूमि में आवासीय प्लॉट काटकर बेचे जाकर निमार्ण कार्य किया है, तथा भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग में लेने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अन्तर्गत धारा 90 –ए के तहत कार्यवाही करते हुए भूमि सिवायचक करने के आदेश होने से आदेश दिनांक 24.04.2001 के अनुसरण में जैर अपील नामान्तकरण सं0 299 स्वीकार किया गया है, नामान्तकरण प्रकिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । वकील अपीलांट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य / आधार पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण खारिज किया जा सकें । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को हम उचित मानते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज योग्य पाते है ।

9. अतः वकील अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जाने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामा0 सं0 299 आदेश दिनांक 09.06.2001 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । अतः जैर अपील नामान्तकरण में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

10. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा
कोटा

Scanned by CamScanner